कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी पर अनुदान

उद्देश्य :–

- फसलों को नील गाय व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।

पात्रता :–

- सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।

अनुदान :–

- तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40000 रू0 जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान।

आवेदन प्रक्रिया :–

- कृषक नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक, आवेदन पत्र ऑन–लाइन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाइन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज–आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- तारबंदी किये जाने से पहले व कार्य पूर्ण होने पर जियो टेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
- कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
- योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देय।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।

कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित

Design : R.Massey